राजस्थान सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान–अजमेर

क्रमांकः– एफ2(1564)/स्था/पमु/ दिनांकः

–:: आदेश ::–

दिव्यांगजन कैरी–फारवर्ड की प्रतीक्षा सूची से प्राप्त 01 अभ्यर्थी शासन उप सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग, राजस्थान के पत्र क्रमांक प.1(2)प्र.सु/अनु.–3/2020 दिनांक 01.04.2022 के द्वारा विभाग को आंवटित किये जाने पर राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1999 के तहत कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से दो वर्ष के परिवीक्षाकाल पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु (Probationer-Trainee) के रूप में कनिष्ठ सहायक के पद पर वित्त विभाग (नियम डिवीजन) द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.15(1)एफ.डी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 के शिड्युल 4 के तहत लेवल 5 में रूपये 14600/– (अक्षरे रूपये चौदह हजार छः सौ मात्र) स्थिर पारिश्रमिक मासिक की दर पर अधोलिखित शर्तों पर कार्यभार संभालने की तिथि से उनके सम्मुख अंकित कार्यालय में नियुक्त किया जाकर पदस्थापन एतद् द्वारा किया जाता है :–

क्र.स.	अभ्यर्थी का नाम	रैंक	जन्म तिथि	वर्ग	पदस्थापन स्थान
1.	सुनील पुत्र श्री बाबु लाल	28212	15-07-1990	OBC	उप पंजीयक कार्यालय जोधपुर तृतीय

1. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है। अस्थाई सेवाकाल में बिना पूर्व सूचना अथवा नोटिस दिये किसी भी समय राज्य सेवा से पृथक किया जा सकता है।
2. अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के अन्दर अपने पद का कार्यभार सम्भालना होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
3. अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यग्रहण की तिथि से मान्य होगी।
4. उक्त नियुक्तियाँ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र एफ.11/एसटी, एससी, ओबीसी, एसबीसी/जा.प्र.प्र./सामान्य अवि/2015/54159 दिनांक 09.09.15 पत्रांक 63606–726 दिनांक 20.10.15 एवं प.11(204)आरएण्डपी/डीडीबीसी/सामान्य अवि/2011/68999–69032 जयपुर दिनांक 11.11.16 में वर्णित दिशा निर्देशों के अध्याधीन पूर्णतया अस्थाई रूप से रहेगी।
5. परिवीक्षाधीन अवधि के दौरान वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना एफ.12(6) एफडी/रूल्स/05 दिनांक 13.03.2006, 6(6) एफडी/रूल्स/2005 दिनांक 13.03.2006, 1(2) एफडी/रूल्स/2006 दिनांक 13.03.2006, 13(1) एफडी/रूल्स/2003 दिनांक 13.03.2006 तथा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) दिनांक 30.10.2017 के नियम 16 की अनुसुची–iv के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) के हकदार होंगे इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते जैसे मकान किराया भत्ता, महंगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन, आदि देय नही होंगे। उक्त नियुक्ति मे राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) 2017 की शर्तें प्रभावी रहेंगी।

6. परिवीक्षा काल (Probation Period) में इन्हें कोई वार्षिक वेतनवृद्धि देय नहीं होगी।

7. दो वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि संतोषजनक पूर्ण करने के उपरान्त ही इनका वेतन निर्धारण कनिष्ठ सहायक के पद पर पे–मैट्रिक्स लेवल संख्या 5 मे निर्धारित किया जायेगा एवं तदुपरान्त ही नियमानुसार वेतन एवं अन्य भत्ते देय होंगे।

8. अभ्यर्थियों की वरिष्ठता राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी रैंक/मेरिट के अनुसार रहेगी।

9. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा मे कार्यरत हैं उन्हे राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन भत्ते देय होंगे परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम (Through Proper Channel) से कार्यमुक्ति आदेश एंव गत भुगतान प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

10. अभ्यर्थियों का पदस्थापन अथवा स्थानान्तरण राज्य के किसी भी जिले मे किया जा सकता है।

11. अभ्यर्थी को कार्यभार सम्भालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा एवं अन्य भत्ते देय नही होंगे।

12. परिवीक्षा अवधि में प्रत्येक कलेण्डर वर्ष में 15 दिवस का आकस्मिक अवकाश देय होगा। नियुक्ति कलेण्डर वर्ष के मध्य में होने से अनुपातिक रूप से आकस्मिक अवकाश देय होगा। राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.1(6)वित्त/नियम/2011 दिनांक 15.2.2012 द्वारा प्रतिस्थापित राजस्थान सेवा नियम–122क (i) के अनुसार प्रोबेशनर–प्रशिक्षणार्थी को परिवीक्षा की अवधि के दौरान कोई अवकाश अर्जित नहीं होगा।

13. परिवीक्षाधीन अवधि के दौरान वित्त (नियम अनुभाग) विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.1(2)एफडी/रूल्स/2006–I दिनांक 06.01.2020 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत असाधारण अवकाश केवल गंभीर बीमारी (critical illness) की स्थिति में सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी मेडिकल प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति प्राधिकारी (महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग) की पूर्व स्वीकृति के बिना देय नहीं होगा। पूर्व स्वीकृति उपरान्त ही कार्मिक असाधारण अवकाश का उपभोग करेगा। इसके उपरान्त भी कार्मिक द्वारा परिवीक्षाकाल में बिना सक्षम स्वीकृति के असाधारण अवकाश का उपभोग किया जाता है तो उक्त ज्ञापन में उल्लिखित नियमों के अन्तर्गत कार्मिक अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिये उत्तरदायी होगा।

14. वित्त (नियम अनुभाग) विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.1(2)एफडी/रूल्स/2006–I दिनांक 22.02.2021 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत असाधारण अवकाश अवधि के समानान्तर परिवीक्षाकाल में वृद्धि की जायेगी।

15. परिवीक्षाधीन अवधि में अभ्यर्थी का कार्य/आचरण संतोषप्रद नहीं पाये जाने की स्थिति में "The Rajasthan Subordinate Offices Ministerial service rules, 1999" के नियम 40(1) के अन्तर्गत परिवीक्षाकाल अवधि बढ़ायी जा सकती है और बिना किसी क्षतिपूर्ति के किसी भी समय सेवा से विमुक्त/सेवा समाप्त की जा सकती है।

16. उक्त नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों/परिपत्रों के अन्तर्गत शासित होगी एवं समय–समय पर जारी किये गये निर्देश/परिपत्र लागू होंगे।

17. कार्यभार सम्भालने की रिपोर्ट 2 प्रतियों मे तैयार की जावे। एक प्रति संबंधित अधिकारी एवं दूसरी प्रति महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर को आवश्यक रूप से भेंजें। अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार सम्भालने की रिपोर्ट ई–मेल igrs@rajasthan.gov.in के माध्यम से भी भेजी जावेगी।

सही/-
(शरद मेहरा)
महानिरीक्षक
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर

क्रमांकः– एफ2(1564)/स्था/पमु/5395-5400 दिनांकः 5/05/22

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. **शासन उप सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग, राजस्थान के प.1(2)प्र.सु/अनु. –3/2020 दिनांक 01.04.2022 के संदर्भ में प्रेषित है।**
2. सयुंक्त निदेशक (कम्प्यूटर) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
3. उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक वृत जोधपुर।
4. उप पंजीयक जोधपुर तृतीय।
5. श्री सुनील पुत्र श्री बाबु लाल रैंक 28212 निवासी ग्रोम पोस्ट, गुडा विश्नोइयान, तहसील लूणी जिला जोधपुर, राजस्थान 342802
6. निजी पत्रावली श्री सुनील पुत्र श्री बाबु लाल
7. गार्ड फाईल।

(अनिता चौधरी)
उप महानिरीक्षक(कर)
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर